20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(87)

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर कैंप भोपाल

निग-0596/2019/विदिशा/ग्र 0210

प्रकरण क. ....

थान सिंह पुत्र स्व. श्री भैरो सिंह
आयु-75 वर्ष निवासी- ग्राम व तहसील कुरवाई
जिला विदिशा म0प्र0 -- आवेदक

विरूद्ध

1. जमना प्रसाद आत्मज श्री हरलाल
आयु- वयस्क निवासी- ग्राम पूरावली,
तहसील कुरवाई जिला विदिशा म0प्र0
2. के.एन. ओझा तहसीलदार राजस्व
तहसील कुरवाई जिला विदिशा म0प्र0
3. अनिल जैन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
तहसील कुरवाई जिला विदिशा म0प्र0 -- अनावेदकगण

श्री महावन्द साहू अभि० द्वारा भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत 9-5-19

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 10, 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सहपठित
धारा 151 सीपीसी

आवेदक की ओर से सविनय निवेदन है-

1. यह कि आवेदक ने माननीय राजस्व न्यायालय के समक्ष रिवीजन 2270/1/15 तहसीलदार तहसील कुरवाई जिला विदिशा के प्रकरण क. 35/अ-12/2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 30.05.2013 के लिये पेश की गयी थी। जिसमें सम्मानीय राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 14.11.2017 पारित कर तहसीलदार द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 03.05.2013 निरस्त कर यह प्रकरण तहसीलदार कुरवाई को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वह प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही उभयपक्ष एवं अन्य सरहदी कास्तकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत रुप से करें।
2. यह कि तत्पश्चात भी सम्मानीय राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 को बला-ए-ताक पर रखकर

निरंतर...2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 0596/2019/ विदिशा / अ.रा. धान सिंह / अमृत प्रसाद

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-05-19	आवेदक अधिवक्ता श्री यशवंत साहू उपस्थित । उन्हें ग्राहयता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण धारा 10 व 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सहपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया इस न्यायालय के आदेश के पालन में ही तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जा रही है । अत: कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रकरण नहीं बनता है इसलिये यह विविध प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	